

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर


क्रमांक : ५२५

दिनांक : १३-६-२०१२

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि फील्ड में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (व)/आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त द्वारा प्रति माह सम्पादित कार्यो का लेखा-जोखा एवं मुख्यालय स्तर पर समीक्षा नहीं हो रही है। उक्त स्थिति के मध्यनजर फील्ड में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (व)/आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त द्वारा निष्पादित कार्यो की समीक्षा हेतु मण्डल द्वारा "Monthly Self Assessment Report" का प्रारूप तैयार कर मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.com पर अप-लोड कर दिया गया है।

अतः फील्ड में कार्यरत समस्त परियोजना अभियन्ता (व.)/आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में "Monthly Self Assessment Report" प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से ई-मेल के जरिये पी एण्ड एम प्रकोष्ठ को replan@rhbmail.in पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। ई-मेल से प्राप्त उक्त रिपोर्टस को पी एण्ड एम प्रकोष्ठ द्वारा मॉनिटर/संकलित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावेगा।


(ई. राविकान्त)
आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम0, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/सचिव, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त (समस्त), रा0आ0मं0, _____.
6. आवासीय अभियन्ता (समस्त), रा0आ0मं0, _____.
7. एनालिस्ट कम प्रोगामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


आवासन आयुक्त .

S
E
L
F

A
S
S
E
S
S
M
E
N
T